

—:: छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन ::—

प्रधान कार्यालय, 22, आनन्द नगर, रायपुर

क्रमांक/छगवेका/निर्माण/2009-10/18710

रायपुर, दिनांक 27.10.2009

द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

इस कार्यालय द्वारा निम्नांकित शाखाओं पर गोदाम निर्माण कार्यो हेतु छ0ग0 शासन के लोक निर्माण विभाग में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से मोहरबंद निविदाएँ छगवेका द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र“ए”में छ0ग0 लोक निर्माण विभाग में भवन,सड़क,विद्युत के लिए वर्तमान प्रभावशील दर-सूचि में 'प्रतिशत-दर' पर निविदा केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आमंत्रित की जाती है।

ग्रुप क्रं0	गोदाम काम्पलेक्स का निर्माण स्थल	क्षमता मे0टन में	कार्य की अनुमानित (राशि रुपये लाख में)	अमानती राशि रुपये	निविदा प्रपत्र का मूल्य सभी कर सहित	बैंक साल्वेंसी (12 माह से अधिक पुरानी न हों)	ठेकेदार की पंजीयन श्रेणी	कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि
1.	कवर्धा	5400	159.70	119800	5000	2395500	ए 4 या उपर	8 माह
2.	साजा	3600	91.78	68900	5000	1376700	ए 3 या उपर	6 माह
3.	धरसीवा आरंग	2800	85.03	123900	5000	2477000	ए 4 या उपर	8 माह
		1800	80.06					
		4600	165.09					
4.	कसडोल पिथौरा	1800	48.64	81800	5000	1636000	ए 4 या उपर	6 माह
		1800	60.40					
		3600	109.04					
5.	तखतपुर बिल्हा	1800	59.06	88500	5000	1768000	ए 4 या उपर	6 माह
		1800	58.81					
		3600	117.87					

1. निविदा आवेदन की अंतिम तिथि — 12/11/09, अपरान्ह 04.00 बजे तक ।
- 2- निविदा जमा करने की तिथि — 19/11/09, अपरान्ह 05.30 बजे तक ।
- 3- निविदा खोलने की तिथि — 20/11/09, अपरान्ह 12.30 बजे ।

अन्य शर्ते -

1. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र के साथ वैद्य पंजीकरण, पेन नंबर एवं वाणिज्यकर एवं सर्विस टेक्स पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति अवलोकन कराना होगा ।
2. निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत की जावगी । एक लिफाफे में "निविदा प्रपत्र" होगा तथा दूसरे लिफाफे में "अमानती राशि" (जो प्रबंध संचालक, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन रायपुर के नाम देय, राष्ट्रीयकृत बैंक (**Nationalise Bank**) जिसकी भाखा रायपुर में हो), का बैकर्स चैक अथवा डिमांड ड्राफ्ट होगा , दोनों बंद लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में रखकर सीलबंद किया जाये । सीलबंद लिफाफे के उपर कार्य का नाम एवं अमानती राशि का विवरण किया जाये ।
3. जो निविदायेँ प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् पोस्टमेन द्वारा लाई जायेगी उन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं वापस कर दी जावेगी ।

4. बैंक साल्वेंसी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक (Nationalise Bank) द्वारा जारी, 12 माह से अधिक पुरानी न हो, संलग्न की जायें ।
5. सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी ।
6. कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक है। कार्य पूर्णता में बिलम्ब होने पर निविदा दस्तावेज के अनुसार पेनाल्टी एवं व्यवसायिक क्षति वसूली जायेगी ।
7. किसी अप्रत्याशित कारण से निविदा खोलने की निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित हो जाने पर निर्धारित तिथि एवं समय आगामी कार्य दिवस हेतु स्वतः बढ़ी मानी जावेगी ।
8. ठेकेदारों एवं फर्मों के ठेकेदार जो दो या अधिक प्रतिष्ठानों में कोई व्यक्ति प्रोपराईटर या पार्टनर है तो एक कार्य के लिए एक निविदा से अधिक निविदा प्रदाय नहीं की जावेगी ।
9. पात्र निविदाकर्ता किसी भी एक अथवा एक से अधिक ग्रुपों में निविदा भरने के लिए सक्षम होंगे किन्तु उसे ठेकेदार के पंजीयन श्रेणी की अधिकतम पात्रता राशि से अधिक लागत के कार्य की निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी। यदि निविदाकर्ता की निविदा अधिक ग्रुपों में न्यूनतम होती है तो निगम उसकी पंजीयन श्रेणी में पात्रता राशि की सीमा को ध्यान में रखकर ऐसे किन्हीं भी न्यूनतम ग्रुपों को उसकी पंजीयन श्रेणी की पात्रता राशि की सीमा को ध्यान में रखकर निविदा स्वीकृत कर सकेगा। एवं उस निविदाकर्ता की भोश न्यूनतम निविदा दर ग्रुपों को उस समूह के द्वितीय न्यूनतम निविदाकर्ता से निर्गोपित करने के लिये स्वतंत्र होगा ।
10. छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद, राज्य में निविदाकार को गोदाम, कवर्ड शेड, मंडी भोड इत्यादि समान प्रकार के ट्यूबलर स्ट्रक्चर कार्य की निविदा राशि के कम से कम 50 प्रतिशत राशि के कार्य का अनुभव होना चाहिये। उक्त प्रमाण पत्र तथा कार्यों की सूची संबंधित विभाग के कार्यपालन यंत्री या उसके समकक्ष पद के अधिकारी के द्वारा जारी किया गया हो, समस्त दस्तावेज की मूल प्रति अवलोकनार्थ एवं एक छायाप्रति संलग्न की जावें ।
11. कार्य के देयकों से 5 प्रतिशत परफारमेंस ग्यारंटी की कटौती की जावेगी। जो 03 वर्ष पश्चात् अनुबंधानुसार वापस की जा सकेगी। तथा नियमानुसार आयकर एवं वाणिज्य कर, आदि स्रोत पर, तथा सर्विस टैक्स एवं अन्य लागू टैक्स का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा स्वतः ही किया जावेगा, जिसका कोई पुनर्भुगतान निगम द्वारा नहीं किया जायेगा ।
12. जिन ठेकेदारों को इस निगम या राज्य भासन के किन्हीं विभागों या प्रदेशों के सार्वजनिक उपकरणों या स्थानीय निकायों द्वारा **(Black Listed)** काली सूची हो में डाला गया, वे निगम में निविदा हेतु पात्र नहीं होंगे ।
13. कार्य स्वीकृत होने पर स्वीकृत दर पर ही उस भाखा के पूर्व निर्मित परिसरों के गोदामों के वार्षिक एवं मरम्मत कार्य करना होगा ।
14. निगम के प्रबंध संचालक को निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
15. निविदा की जानकारी वेबसाइट www.cg.gov.in के टेण्डर लिंक में देखी जा सकती है ।